pan>

Title: Introduction of the Responsible Parenthood Bill, 2018 .

डॉ. संजीव बालियान (मुजफ्फरनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकों और विशेषत: महिलाओं के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देश के संसाधनों के अनुरूप विकास लक्ष्य हेतु जनसंख्या को स्थिर करने, भावी पीढ़ियों के लिए सुन्दर, सुरक्षित एवं अभावमुक्त जीवन प्रदान करने के लिए संविधान की धारा 21 के अन्तर्गत प्रदत्त जीवन का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु शुद्ध जल, स्वच्छ वायु एवं शुद्ध भोजन प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for implementation of two children norm to improve the standard of living of citizens especially that of women and empower them, stabilise country's population in order to achieve the goal of development in accordance with country's resources while achieving the Sustainable Development Goals, 2030 of United Nations Organisation, provide a graceful, safe and paucity free life for the forthcoming generation and to provide pure water, clean air and hygienic food for ensuring Right to Life as guaranteed under article 21 of the Constitution and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

डॉ. संजीव बालियान : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।